झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉंची

पत्र सं0– वि0प्रा0/कौ0–19/2025 /रॉंची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
पोस्ट– हिनु, रॉंची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **जिला विज्ञान केन्द्र तथा तारामंडल, दुमका के परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु डीप बोरिंग संबंधी प्राक्कलित राशि रू0 5,43,900/– (रू0 पांच लाख तेतालीस हजार नौ सौ) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत दुमका जिला में तारामंडल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तारामंडल निर्माण कार्य में पानी की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रभावित हो रहा था। झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद का पत्रांक 59 दिनांक 25.04.2022 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका से दुमका तारामंडल के परिसर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्राक्कलन के लिए अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका का पत्रांक 538 दिनांक 19.05.2022 के दुमका जिला के दुमका तारामंडल के परिसर में दो डीप बोरिंग (200 mm X165mm X200.00 M deep high yield drilled tube well) कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल प्राक्कलित राशि रू0 5,43,900/– (रू0 पांच लाख तेतालीस हजार नौ सौ) मात्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद का पत्रांक 119 दिनांक 11.10.2022 के आलोक में कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका से कार्य कराते हुए विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है। परन्तु विषयांकित कार्य से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत नहीं होने के कारण राशि निकासी में कठिनाई हो रही है।

अतः उक्त के आलोक में दुमका तारामंडल तथा जिला विज्ञान केन्द्र के परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो डीप बोरिंग कार्य के लिए कुल रू0 5,43,900/– (रू0 पांच लाख तेतालीस हजार नौ सौ) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

   विपत्र कोड – 43S42020210506010545

3. विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका की होगी जो तकनीकी स्वीकृति के साथ विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा।

4. कार्य की प्रगति के संबंध में पर्यवेक्षण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) द्वारा करते हुए प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश निर्गत के पश्चात आवश्यकतानुसार आवंटन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका झारखण्ड होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन झारखण्ड PWD कोड़ के आलोक में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए सुनिश्चित करेंगे।

7. कार्य पूर्ण करने के अवधि 07 दिन होगी।

8. राशि की निकासी जिला कोषागार, दुमका से की जायेगी।

9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि0 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

10 झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन की जायेगी।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के भीतर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका झारखण्ड द्वारा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जायेगा, यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

13. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. झारखण्ड़ कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार वित्त विभाग (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार झारखण्ड़ रॉची का होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/कौ0–19/2025 /रॉची, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/कौ0–19/2025/25/योजना /रॉची, दिनांकः– 10.12.2025

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सख्या–2, दुमका झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.12.25
सरकार के प्रधान सचिव